मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल,दिनांक 21/02/2018 ~~/12/2017~~

/ / आदेश / /

क्रमांक F 10-04/2018/स्वा.6/प्रति म0प्र0 शासन वित्त विभाग मंत्रालय, के पत्र क्रमांक एफ4-3/2017/नियम-चार, भोपाल दिनांक 22.04.2017 के निर्देशों में छोटे कस्बे का आशय को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है- "छोटे कस्बे" का आशय नगर पंचायत से है। व्यवसायिक दक्षतावरोध क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) के विशेषज्ञ चिकित्सक भी पात्र होगें।"

2/ शेष निर्देश वित्त विभाग के पत्र के प्रकाश में यथावत् रहेगें ।

3/ म0प्र0 शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम-चार भोपाल दिनांक 22.07.2017 के बिन्दु 15 के प्रकाश में उपरोक्त संदर्भित आदेश में उल्लेखित व्यवसायिक दक्षतावरोध क्षतिपूर्ति भत्ते 6वॉ वेतनमान के आधार पर ही देय होगा।

4/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन आदेश .... के द्वारा महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

25536/2974/17/B/चार
5/2/18

(उपेन्द्रनाथ शर्मा)
उप सचिव
म0प्र0 शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक F 10-04/2018/स्वा.6/प्रति भोपाल,दिनांक 21/02/2018 ~~/12/2017~~

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ ।

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म0प्र0 शासन ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
3. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0 ।
4. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
5. रजिस्ट्रार/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/ खण्डपीठ ग्वालियर/खण्डपीठ इन्दौर, मध्यप्रदेश ।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

7. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाये/कोष एवं लेखा/चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त संचालक/क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
10. संचालक, गैस राहत/कमला नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ।
11. संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान सिटी सेन्टर, ग्वालियर/मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर/इन्दौर ।
12. समस्त अधीष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश ।
14. समस्त जिला कोषालय/पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त अधीक्षक, टी.बी./सिविल अस्पताल मध्यप्रदेश ।
16. प्रभारी, एम.आई.एस. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें ।

उप सचिव
म0प्र0 शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांकः एफ 5-3/2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 22 अप्रैल, 2017

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
भोपाल।

विषय- ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ विशेषज्ञों को व्यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में ।

—◆—

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं छोटे कस्बों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध अधोसंरचनाओं एवं अन्य परिस्थितियों के कारण चिकित्सकों द्वारा उनकी व्यावसायिक दक्षता का पूर्ण उपयोग न कर पाने एवं दक्षता में वृद्धि के समुचित अवसर की उपलब्धता न होने जैसे कारणों से चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञों के पदों की रिक्तता निरंतर बनी रहती है।

2/ उपर्युक्त क्षेत्रों में चिकित्सा की बेहतर सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि :-

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को उनके मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते की कुल राशि का 20 प्रतिशत की दर से तथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर से "व्यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता" स्वीकृत किया जाय।

(ब) छोटे कस्बों में स्थित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सा विशेषज्ञों को 20 प्रतिशत की दर से तथा अधिसूचित क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की दर से "व्यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता" स्वीकृत किया जाय।

(स) यह भत्ता अन्य किसी भी प्रकार की पात्रता यथा, सेवानिवृत्ति परिलाभ, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, गैर व्यावसायिक भत्ता आदि के लिये गणना में नहीं लिया जायेगा।

(द) अवकाश अवधि में यह भत्ता देय नहीं होगा।

3/ उपर्युक्त भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2017 (माह जुलाई, 2017 का वेतन जो माह अगस्त, 2017 में देय होगा) से देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-2/2015/नियम/चार

भोपाल, दिनांक २१ अप्रैल, 2017

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
8. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
9. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
10. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग